राजस्थान सरकार

वित्त (आय–व्ययक) विभाग

क्रमांक:प.4(18)वित्त–1(1)/आ.व्य./2021 जयपुर, दिनांक: 06 मार्च, 2025

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
बजट नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान सरकार।

विषयः– वर्ष 2024–25 के वास्तविक व्यय की सूचना एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने बाबत।

वित्तीय वर्ष 2024–25 समाप्ति की ओर है तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दिनांक 31.03.2025 तक हुए वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य के लेखों का आधिक्य/बचत विवरण पत्र (Excess/Saving Statement) एवं पुनर्विनियोजन आदेश (Re-appropriation) प्रधान महालेखाकार, राजस्थान को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियन्त्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके नियन्त्रणाधीन बजट शीर्षो के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2025 को एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के राजकोष पर उपलब्ध दिनांक 31.03.2025 तक विस्तृत शीर्षवार वास्तविक व्यय को विभागीय लॉग–इन (Login) से डाउनलोड कर अद्यतन (Update) करना सुनिश्चत करें।

डाउनलोड के लिए एक्सेल फाईल [Excel File (.xls)] आपके लॉग–इन पर "आधिक्य/बचत" विकल्प (Excess-Saving Option) पर उपलब्ध होगी। इस फाईल में निम्न कॉलम उपलब्ध होंगें :–

1	BFC Type (Central Assistance/State Fund)
2	Head Type (Voted/Charged)
3	Major Head
4	Sub Major Head
5	Minor Head
6	Sub Head
7	Group Head
8	Object Head
9	Expenditure (as per Rajkosh)
10	Addition/Subtraction by Deptt (TE or Adjustment/Challan/others)
11	Final Expenditure (9±10)

इस विषय में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1. विभागीय स्तर पर केवल कॉलम 10 में ही प्रविष्टि (Entry) की जानी है (Subtraction की स्थिति में - का sign लगाना सुनिश्चित करावें), जिसमें महालेखाकार कार्यालय में जिन बजट शीर्षो में स्थानान्तरण प्रविष्टि (TE) प्रस्तुत की गई है अथवा की जानी है एवं कोई अन्य

22

समायोजन (Expenditure out of IFMS) किया जाना उसको समावेशित करना सुनिश्चित किया जावे।

2. अन्तिम आधिक्य–बचत के संक्षिप्त कारण विशेष विवरण के कॉलम में आवश्यक रूप से दर्ज किये जावें। कारण ड्रॉप बॉक्स में अंकित है।

3. विभाग द्वारा प्रेषित अन्तिम व्यय एवं महालेखाकार के लेखों में वर्ष के अन्त में दर्शाये जाने वाले व्यय में अन्तर की स्थिति न रहे, इस तथ्य को सुनिश्चित करावें।

4. बजट नियंत्रण अधिकारियों जिनके नियंत्रणाधीन बजट शीर्षो में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राशि का उपयोग किया जाता है, उन बजट शीर्षो में दिनांक 31.03.2025 तक के व्यय की सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त की जा कर प्रषित की जावे। उल्लेखनीय है कि उक्त बजट शीर्षो में व्यय की सूचना सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ही प्रेषित की जानी है। जिन बजट शीर्षो के व्यय में प्रतिशतता व्यय की राशि सम्मिलित की जानी है उसकों सम्मिलित करना भी सुनिश्चित किया जावे।

5. विभागीय स्तर पर कॉलम संख्या 10 (Addition/Subtraction by Deptt) में प्रविष्टि (Entry) करने के पश्चात इसे एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर अपलोड कर देवें। अपलोड बटन भी आधिक्य/बचत विकल्प (Excess Saving Option) पर उपलब्ध है।

6. व्यय की सूचना एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर अपलोड कर दिनांक 07.04.2025 तक हार्ड–कॉपी वित्त (बजट) विभाग को उपलब्ध करावें।

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।
5. वरिष्ठ निदेशक (IT), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर को IFMS में आवश्यक संशोधन हेतु।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

निदेशक, वित्त (बजट)